कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा / माध्य / निप्र / नवाचार / 2017—19 / 263 दिनांक : 16.01.2020

1) समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
2) समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषयः— समस्त राजकीय विद्यालयों में प्री—बोर्ड परीक्षा—2020 के आयोजन से पूर्व बोर्ड कक्षाओं के समस्त विषयों में पाठ्यक्रम पूर्णता की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 13.11.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत **"बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना— 2020"** के तहत समसंख्यक निर्देश पत्र द्वारा आपको क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से पूर्व बोर्ड कक्षाओं में समस्त विषयों का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने बाबत् निर्देश प्रदान किए गए थे। विभिन्न जिलों की उक्त कार्य योजना की क्रियान्विति से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट में अभी भी कुछ विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूर्णता का अभाव दृष्टिगोचर हुआ है। उक्त क्रम में क्षेत्राधिकार के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु अग्रांकित निर्देशों की तत्काल क्रियान्विति सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करावें :—

1. जिन विद्यालयों की बोर्ड कक्षाओं में किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम सम्बन्धित विषयाध्यापक के पदस्थापन के अभाव अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश (यथा मातृत्व / दीर्घकालिक अवकाश) पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उन विद्यालयों में उपलब्ध अन्य श्रेणी के पात्र शिक्षकों द्वारा विद्यालय में तत्सम्बन्धी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं विद्यालय समय के दौरान अथवा विद्यालय समय के पूर्व / पश्चात् लगाई जाकर प्री बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. विद्यालयों में रिक्त विषयाध्यापक के विषय से सम्बन्धित पात्र अन्य शिक्षक के अभाव की स्थिति में समीपस्थ अन्य विद्यालय (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक) में कार्यरत शिक्षक की तत्काल शिक्षण व्यवस्था करते हुए तदनुसार प्री बोर्ड परीक्षा आयोजन से पूर्व पाठ्यक्रम पूर्णता की सुनिश्चितता करावें।
3. जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित कक्षाओं में सम्बन्धित विषय का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा चुका है, उन विद्यालयों से विषयाध्यापक की अस्थाई शिक्षण व्यवस्था आवश्यकता वाले समीपवर्ती विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने के प्रयोजनार्थ की जा सकती है।

(हिमांशु गुप्ता) 16/01
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव , स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव,राजस्थान,जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा)विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन-हेतु ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)—माध्यमिक / प्रारम्भिक।
8. समस्त जिला प्रभारी गण, कार्यालय हाजा ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई—मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।
10. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं संस्था प्रधान, राजकीय मावि / उमावि को निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु।
11. सहायक निदेशक (शाला दर्पण), कार्यालय हाजा को "शालादर्पण पोर्टल" पर अपलोड करने हेतु ।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर